(क) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखे गए महाराष्ट्र धन उधारी विनियमन विधेयक, 2010 के संबंध में राज्य सरकार के विचार केन्द्र सरकार को प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विधेयक के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार इस समस्त प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।**

**\*\*\*\*\***

**दिनांक 25.04.2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 287 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण**

**(क) और (ख) : महाराष्ट्र धनशोधन (विनियमन) विधेयक, 2011 के संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के प्रक्षणों पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण गृह मंत्रालय में दिनांक 08.02.2012 को प्राप्त हो गए हैं ।**

**(ग) : उक्त स्पष्टीकरणों को वित्तीय सेवाएं विभाग को उनकी अगली जांच हेतु दिनांक 15.02.2012 को भेज दिया गया है । इस संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग की टिप्पणियां अभी भी प्रतीक्षित हैं । उन्हें दिनांक 9.3.2012 को अनुस्मारक भेजा गया है ।**

**(घ) : राज्य विधानों की जांच केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके तीन दृष्टिकोणों से की जाती है अर्थात**

**(i) केन्द्रीय कानूनों के साथ प्रतिकूलता**

**(ii) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से उनका विचलन और**

**(iii) विधिक एवं सांविधानिक वैधानिकता**

 **जब कभी आवश्यक होता है तो राज्य सरकारों को उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे विधानों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करने की सलाह दी जाती है । शीघ्रातिशीघ्र किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है । इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है ।**